न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/305

श्रीमती मोहनी बाई पुत्री रूघनाथ पत्नी गंगाराम जाति प्रजापत निवासी कोडक्या तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. चतरभुज आत्मज रघुनाथ जाति प्रजापत ।
2. मोहन आत्मज रघुनाथ जाति प्रजापत ।
3. श्रीमती पूजा बाई पत्नी रघुनाथ जाति प्रजापत ।
4. सत्यनारायण आत्मज सीताराम जाति प्रजापत ।
5. मन्नी बाई बेवा सीताराम जाति प्रजापत ।
6. चाहन्या बाई पुत्री सीताराम जाति प्रजापत ।
7. उच्छब बाई पुत्री सीताराम जाति प्रजापत ।
8. सुरेश बाई पुत्री सीताराम जाति प्रजापत ।
9. रामपाल आत्मज माध्या जाति प्रजापत निवीसगण कोडक्या तहसील के0 पाटन ।
10. संतोष बाई पत्नी रामेश्वर जाति महाजन निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
11. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।
12. उप पंजीयक महोदय, के0 पाटन जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामकैलाश नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री लक्ष्य भारद्धाज, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 25.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम कोडक्या तहसील के0 पाटन जिला कोटा में कुल 06 किता की रकबा 7.86 हैक्टर भूमि स्थित

है। इसी प्रकार खतौनी संख्या नयी 55 पुरानी 51 में कुल 02 किता की रकबा 0.38 हैक्टर भूमि ग्राम कोडक्या में ही स्थित है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया के पिता रूघनाथ जी का 1/3 हिस्सा एवं मद संख्या 03 में वर्णित कृषि भूमि में अकेले ही खातेदार के रूप में नाम दर्ज था । उक्त भूमि में प्रार्थिनी एवं अप्रार्थी कम 1 से 3 का शामलाती रूप में 1/3 हिस्सा एवं चरण संख्या 03 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थिनी का 1/4 हिस्सा निहित है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि में प्रार्थिनी अपने हिस्से की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है । रूघनाथ जी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी कम 1 से 3 द्वारा हल्का पटवारी को गलत जानकारी देकर अपने नाम इंतकाल खुलवा लिया जबकि प्रार्थिनी स्व0 रूघनाथ जी की पुत्री है जो उक्त भूमि में अपना नाम खातेदारी में दर्ज कराने की अधिकारी है। अप्रार्थी कम 1 से 3 के बेईमानी आ गयी है और वह राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थिनी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहते हैं और उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान करने पर आमादा हैं । ऐसी स्थिति में आवश्यक हो गया है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी से प्रार्थिनी के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से प्रार्थिनी को बेदखल नहीं करे उसके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे और भूमि का विभाजन करवाये बिना किसी अन्य व्यक्ति को उक्त भूमि रहन, बेचान नहीं करें । अप्रार्थीगण कम 11 व 12 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को किसी व्यक्ति के रहन, बेचान, दान एवं वसीयत के विलेख का निष्पादन करने पर उसका पंजीयन नहीं करे ऐसे केता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करे ।

4. अप्रार्थी कम 1 से 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ ने अपने निर्णय दिनांक 14.03.2013 के द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थिया ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट प्रार्थिया खातेदार मृतक रूघनाथ की पुत्री है । इस तथ्य को छुपाते हुए अप्रार्थी कम 01 से 3 ने हल्का पटवारी को गलत जानकारी देकर अपने नाम नामान्तरकरण खुलवा लिया । उक्त नामान्तरकरण के आधार पर अप्रार्थीगण उक्त भूमि को प्रार्थिया अपीलान्ट को बेदखल कर उक्त भूमि को रहन, बेचान करने पर आमादा है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की पैतृक सम्पत्ति है। प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थिया के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट ग्रामीण महिला है तथा अनपढ है जो कानून से अनभिज्ञ है ।

दिनांक 17.05.2017 को रेस्पोडेन्ट क्रम 01 से 3 उक्त वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट को बेदखल करने के लिए आये तब रेस्पोडेन्टगण ने अपीलान्ट से कहा कि अदालत से हमारे पक्ष में निर्णय पारित हो चुका है और तुम्हारा प्रार्थना पत्र खारिज हो गया है । इसके उपरान्त दिनांक 17.05.2017 को उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र वादग्रस्त आराजी के बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । वादग्रस्त आराजी में रूघनाथ का 1/3 हिस्सा निहित था । वादिनी अपीलान्ट रूघनाथ की पुत्री है और वह अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि में त्रुटिपूर्ण रूप से रेस्पोडेन्ट ने अपना नाम दर्ज करवा लिया । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । प्रार्थिया रूघनाथ की पुत्री होने के नाते वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार है । रेस्पोडेन्ट राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करना और प्रार्थिया अपीलान्ट को बेदखल करने पर आमादा हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी की सहखातेदार नहीं है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार रेस्पोडेन्ट हैं । खातेदार कृषक के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अपील विलम्ब से पेश की गई है और विलम्ब का कोई समुचित कारण भी नहीं बताया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2013 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी के द्वारा हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया गया था। पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2060–63 के अनुसार कुल 06 किता की 7.86 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्टगण के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 का 1/3 हिस्सा दर्ज है । इसी प्रकार फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 नया खाता संख्या 55 पुराना में कुल 02 किता की 0.38 हैक्टर भूमि चतरभुज व मोहन के खाते में दर्ज है। रूघनाथ के खाते की फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2022–25 पेश की गई है जिमसें 02 किता की 02 बीघा 18 बिस्वा भूमि रूघनाथ के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2033–36 के अनुसार कुल 05 किता की 51 बीघा 02 बिस्वा आराजी सीताराम वल्द नन्दा, रामपाल वल्द माध्या, चतरभुज व मोहन के संयुक्त खाते में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति पत्रावली पर संलग्न हैं ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने जो जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के वे रिकॉर्डेड खातेदार हैं और मौके पर काबिज काश्त हैं । प्रार्थी के द्वारा जो मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति पेश की है उसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 203, 205, 251, 391 के सहखातेदार चतरभुज और मोहन अंकित हैं । इन खसरा नम्बरान की रूघनाथ के खाते की नकल पेश नहीं की है और अन्य खाता संख्या 120 की रूघनाथ के खाते की जो नकल पेश की है उसका मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है । इस प्रकार प्रार्थिया अपीलान्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी रूघनाथ के खाते से रेस्पोडेन्ट के खाते में आई है। इस प्रकार प्रार्थिया अपीलान्ट प्रथमदृष्टया प्रकरण दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कर पायी है ।

13. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.03.2013 के खिलाफ अपील सन् 2017 में पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अपीलान्ट ने स्वयं पेश किया था और उनके अभिभाषक की उपस्थिति दर्ज की गई है । ऐसी स्थिति में 04 वर्ष तक उनको निर्णय की जानकारी नहीं हो पायी, तार्किक प्रतीत नहीं होता है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज होने योग्य है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2013 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा